	NATION		स) का कार्यालय,वस्तु एवं सेवा करऔर MISSIONER (APPEALS), GST &		
	MARKET	द्वितीय तल,जी एस टी भवन / 2 nd Floor, GST Bhavan रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road राजुकोट / Rajkot – 360 001			
		Tele Fax No. 028	31 – 2477952/2441142 Email: cexapp	ealsrajkot@gmail.co	om
~	()				
	: <u>ई डाक ए.डी.द्वारा</u> :- ल / फाइलसंख्या/		मूल आदेश सं /	fz	जांक/
	eal /File No.		नूल जादरा स 7 O.I.O. No.		ate:
	28/BVR/2019		25/EXCISE/DEMAND/2018-19		/25/2019
ख	अपीलआदेशसंख्या(Order-In-Appeal No.)	:		
	·		EXCUS-000-APP-245-20	<u>19</u>	
	ादेश का दिनांक/ ate of Order:	16.12.2019	जारी करने की तारीख / Date of issue:	1	7.12.2019
	U	न (अपील्स), राजव Gopi Nath , Co	ыेट द्वारा पारित / mmissioner (Appeals),Raji	kot	
रार	जकोट / जामनगर / ग	धीधाम द्वारा उपरलिगि	यक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेव बेत जारी मूल आदेश से सृजित: /		
Ra	ajkot/Jamnagar/Ga	ndhidham :	d by Additional/Joint/Deputy/Assista		Central Excise/ST /
Μ	/s.Hans Industries	Pvt Ltd, Survey N	o. 107/108/109, Sihor-Ghonghal	i Road, Ghabgha	
Ar	y person aggrieved	by this Order-in-App	त तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण eal may file an appeal to the appr	opriate authority in	the following way.
(A)			पीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्री 6 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सक		
	Appeal to Customs, Finance Act, 1994 an		Appellate Tribunal under Section 35E	of CEA, 1944 / Un	der Section 86 of the
(i)	वर्गीकरण मूल्यांकन से ब्लॉक नं 2, आर॰ के॰ पुर	सम्बन्धित सभी मामले से म, नई दिल्ली, को की जान	ोमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवान ो चाहिए ।/	न्र अपीलीय न्यायाधिक	रण की विशेष पीठ, वेस्ट
	matters relating to cl	assification and valuat			
(ii)	उपरोक्त परिच्छेद 1(a) (सिस्टेट)की पश्चिम क्षेत्र	में बताए गए अपीलों के 3 ोय पीठिका,,द्वितीय तल,	ालावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उ बहुमाली भवन असार्वा अहमदाबाद- ३८००१६	न्पाद शुल्क एवं सेवाकर हो की जानी चाहिए ।/	अपीलीय न्यायाधिकरण
(iii)	अपीलीय न्यायाधिकरण निर्धारित किए गये प्रपत्र ब्याज की माँग और लगा क्रमश: 1,000/- रुपये, संबंधित अपीलीय न्याय	िके समक्ष अपील प्रस्तुत EA-3 को चार प्रतियों में ाया गया जुर्माना, रुपए 5 ढ 5,000/- रुपये अथवा 1 धिकरण की शाखा के सह	Excise & Service Tax Appellate Tri se of appeals other than as mentioned करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपी दर्ज किया जाना चाहिए । इनमें से कम सं कम गख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख 0,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की जयक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजि तान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां उ के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जम	ल)नियमावली, 2001, 1 एक प्रति के साथ, जहां रुपए तक अथवा 50 ला प्रति संलग्न करें। निध नक क्षेत्र के बैंक दवारा र	के नियम 6 के अंतगेत उत्पाद शुल्क की माँग , ख रुपए से अधिक है तो रिित शुल्क का भुगतान, जारी रेखांकित बैंक डाफ्ट
	The appeal to the A Excise (Appeal) Rule 1,000/- R5.5000/-, R above 50 Lac respect sector bank of the pl is situated. Applicati	opellate Tribunal shall es, 2001 and shall be a s.10,000/- where amou ively in the form of cr ace where the bench o on made for grant of s	be filed in quadruplicate in form EA- accompanied against one which at lea int of dutydemand/interest/penalty/ ossed bank draft in favour of Asst. Re f any nominated public sector bank of fay shall be accompanied by a fee of R धिनियम,1994 की धारा 86(1) के अंतगेत	3 / as prescribed un st should be accomp refund is upto 5 Lac. zistrar of branch of a the place where the l s. 500/ सेवाकर नियमवाली, 19	der Rule 6 of Central anied by a fee of Rs. , 5 Lac to 50 Lac and ny nominated public bench of the Tribunal 994, के नियम 9(1) के
(B)	तहत निर्धारित प्रपत्र S. संलग्न करें (उनमें से एव लगाया गया जुर्माना, रु रुपये, 5,000/- रुपये उ न्यायाधिकरण की शाख	क समय अपाल, 1वत अ T5 में चार प्रतियों में की क प्रति प्रमाणित होनी चा 1ए 5 लाख या उससे कम, भथवा 10,000/- रुपये का 1 के सहायक रजिस्टार के	जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के हेए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के उ 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द् ााखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न पए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।/	नाथ, जहां सेवाकर की म 50 लाख रुपए से अधिव निर्धारित शुल्क का भुव गरा जारी रेखांकित बैंक	ाँग ,ब्याज की माँग और ह है तो क्रमश: 1,000/- गतान, संबंधित अपीलीय डाफ्ट दवारा किया जाना

(i)

वित्त अधिनियम,1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्शत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेशी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उलमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायकत, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी । /

The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissionerauthorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाएँ, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।
 - केन्द्रीय उत्पाद शूल्क एवं सेवाकर के अंगर्गत "मांग किए गए शूल्क" में निम्न शामिल है
 - धारा 11 डी के अंतर्गत रकम (i)
 - सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि (ii)
 - सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम (iii)
 - े बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वितीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

बशते यह कि इस धारा के प्रावधान वितीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।/
 For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores, Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :

 (i) amount determined under Section 11 D:
 (ii) amount of erroneous Cervat Credit taken,
 (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
 provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C)

と語言ない

· · · . . .

भारत सरकार कोपुनरीक्षण आवेदन : Revision application to Government of India: इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलो में, केंद्रीथ उत्पाद शुल्क अधिनियम,1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001,

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/ In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)

- भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)
- यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)
- सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गईं है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न. 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि (iv)

पर या बाद में पारित किए गए है।/ Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए । उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-(v) 6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(vi)

पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए । जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो

तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

- यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया (D) जाता है। / In case, if the order covers variousnumbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
- यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का (E) न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों (F) को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

STUJE (G) उ्च्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और जवीनतम पावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं । / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in

Appeal No V2/28/BVR/2019

:: ORDER IN APPEAL ::

The present appeal has been filed by M/s Hans Industries Pvt. Ltd. Survey No. 107/108/109, Sihor-Ghanghali Road, Ghabghali, Bhavnagar-364 240 (*hereinafter referred to as* **"the appellant"**) against Order-In-Original No. 25/EXCISE/DEMAND/2018-19 dated 25.01.2019 (*hereinafter referred to as* **"the impugned order"**), issued by the Assistant Commissioner, Central GST Division, Bhavnagar-1 (*hereinafter referred to as* **"the adjudicating authority"**).

2. Shri Pradeep Tulsian, Authorized Representative of the appellant appeared on behalf of the appellant for the personal hearing and reiterated the submission of appeal memorandum and submitted additional submissions for consideration.


3. I find that the present appeal has been filed by the Appellant on **09.05.2019** whereas the impugned order was issued on **25.01.2019** and the Appellant in Form EA-1 has shown that the impugned order was received by them on **10.03.2019**.

3.1 The Assistant Commissioner, Central GST Division, Bhavnagar-1 in his letter dated 15.11.2019 issued from F.No.: V/02-02/Misc. Corres./RRA/2019-20 has reported that the appellant has received the impugned order on **04.02.2019**, which clearly establishes that the appellant has filed this appeal with delay of **34 days**. Scanned copy of the said letter is reproduced below:-



Page No.3 of 5

Appeal No V2/28/BVR/2019



4. In view of above facts, this appeal needs to be decided on limitation of time. I find that the appeal has been filed beyond the stipulated period of **sixty days** from the date of receipt of the impugned order. The appellate authority has, in terms of Section 35 of the Central Excise Act, power to condone delay in filing appeal maximum up to further **thirty days**, albeit on reasonable cause being shown. The present appeal has been filed beyond stipulated time limit of **ninety days** (60 days + 30 days) provided under the statute and hence, is liable to be dismissed on the grounds of limitation/without going into



Page No.4 of 5

5. In view of above, I dismiss the present appeal filed by the appellant *in limine*.

६. अपीलकर्ता दवारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

6. The appeal filed by the appellant stands disposed off in above terms.

सत्यापित अ अ. अयम अर्थाक्षक (अपील्स)

(Gopi

Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D. To, M/s Hans Industries Pvt. Ltd. Survey No. 107/108/109, Sihor-Ghanghali Road, Ghabghali, Bhavnagar-364 240

Copy to: -

- 1. The Pr. Chief Commissioner, GST & Central Excise, Ahmedabad Zone, Ahmedabad.
- 2. The Commissioner, GST & Central Excise, Bhavnagar.
- 3. The Assistant Commissioner, GST & Central Excise, Division, Bhavnagar-I
- 4. The Superintendent, CGST, Range-I, Bhavnagar.
- 5. Guard File.



Page No.5 of 5